न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- **मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.**
राजस्व वाद संख्या :- 69/2017

वादी:- पारसराम पुत्र जवानराम जाति जाट निवासी रणसीगांव तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण:-

1. सीताराम पुत्र जवानराम
2. बुधाराम पुत्र जवानराम जातियान जाट (खोजा) निवासीगण रणसीगांव तहसील बिलाडा
3. अमराराम पुत्र जेठाराम के कायम मुकामः-
   3/1 उगमाराम पुत्र अमराराम
   3/2 भलाराम पुत्र अमराराम
   3/3 भंवरलाल पुत्र अमराराम
   3/4 संतोषदेवी पुत्री अमराराम
   3/5 स्वरूपदेवी पुत्री अमराराम जातियान जाट निवासीगण रणसीगांव तहसील बिलाडा
4. कालूराम पुत्र भोलाराम
5. बाबूलाल पुत्र भोलाराम
6. पुखाराम पुत्र भोलाराम
7. सुखाराम पुत्र भोलाराम सभी जातियान जाट (खोजा) निवासीगण रणसीगांव तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
8. सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा रणसीगांव
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा जिला जोधपुर

दावा अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थितिः- वादी - श्री गणपत लाल चौधरी एडवोकेट।
प्रतिवादी सं. 1 व 2- श्री जी एल कंसारा एडवोकेट।
प्रतिवादी सं. 3 से 8 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
प्रतिवादी सं. 9- सरकारी पैरोकार।

निर्णय **दिनांक** :- 3/3/20

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रणसीगांव तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 558 रकबा 136 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 558/1 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 567 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा कुल खसरा तीन कुल रकबा 146 बीघा 2 बिस्वा आयी हुयी है। जिसकी खातेदारी 1/3 हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 का तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 से 7 का है। इस प्रकार यह भूमि पक्षकारों की सयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 ने काश्त की सुविधा के लिए भूमि खसरा नम्बर 558 रकबा 136 बीघा 16 बिस्वा के तीन भाग कर दिये, जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का सयुक्त रूप से उत्तरी पूर्वी भाग पर तथा प्रतिवादी संख्या 3 का दक्षिणी पूर्वी भाग पर तथा प्रतिवादी संख्या 4 से 7 का दक्षिणी पश्चिमी भाग पर हिस्से अनुसार अलग-अलग काश्त करते हैं। पक्षकारों के हिस्से अनुसार कब्जे का खसरा नम्बर 558 का नजरी नक्शा साथ में पेश है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपने कब्जे काश्त की उत्तरी पूर्वी दिशा के भाग की 163

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

हिस्से की सयुक्त खातेदारी भूमि बसरा नम्बर 558 रकबा 45 बीघा 01 बिस्वा के भू भाग पर एक शामलाती ट्यूबवैल को खुदवाया एवं उस पर विद्युत कनेक्शन को प्राप्त किया। उक्त ट्यूबवैल से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अपने-अपने कब्जे काश्त की भूमि पर सिचाई करते हैं। उक्त खसरा नम्बर 558 रकबा 45 बीघा 01 बिस्वा की भूमि में एवम् नलकूप (ट्यूबवैल) में वादी का 1/9 वा हिस्सा है, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/9 वा हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/9 वा हिस्सा सयुक्त रूप का है, जो वादी अपने हिस्से का बंटवाड़ा करवाने का अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की नियत खराब हो गई. वो वादी को अपने हिस्से की भूमि पर काश्त नहीं करने दे रहे है एवं. न ही ट्यूबवैल का उपयोग करने दे रहे है। वादी अभी रायड़ा व जीरा की फसल बोने हेतु 10 दिन पहले अपने हिस्से की भूमि पर गया और काश्त कार्य करना शुरू किया तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादी को धमकी दी कि ट्यूबवैल को चालू कर दिया तो जान से हाथ धोना पड़ेगा, फिर भी वादी ने गांव के प्रबुद्धजन लोगो को घटना की बात बतायी तो गांव के प्रबुद्धजन लोगों ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को समझाया कि वादी को उसके हिस्से की भूमि पर काश्त कार्य करने दिया जावे व ट्यूबवैल का उपयोग करने दिया जाये ताकि उसका परिवार का भरण पोषण चल सके, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अपनी हठधर्मिता पर अड़ गये और वादी को भूमि पर काश्त कार्य व ट्यूबवैल का उपयोग नहीं करने दिया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादी की भूमि को जबरन बो देते है तथा उसकी फसल को अवेर कर बेच देते है। वादी की भूमि पर हर वर्ष कपास, धनिया, सौफ, रायड़ा, जीरा, गेहू, मूंग, ज्वार, ग्वार, तिल आदि की फसल होती है जो प्रतिवर्ष 5,00,000/- अक्षरे पाँच लाख रूपये की होती है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को शामलाती भूमि व ट्यूबवैल में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने का कोई अधिकार नहीं है, इस कारण वादी को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का यह दावा पेश करना पड़ रहा है। वादी खसरा नम्बर 558 रकबा 136 बीघा 16 बिस्वा में से 1/3 हिस्से की भूमि में बुदी हुयी ट्यूबवैल मय विद्युतीकृत का प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ रेकर्डेड सहखातेदार है, जिसमें वादी का 1/9 वा हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/9 वा हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/9 वा हिस्सा है इस कारण से वादी अपने 1/9 वा हस्से की भूमि का बाईमीटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करवाने का अधिकारी है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की भूमि खसरा नम्बर 558 रकबा 136 बीघा 16 बिस्वा में से 1/3 हिस्से की यानि (45.1 बीघा) भूमि सयुक्त खातेदारी की है, अतः वादी को अपने हिस्से अनुसार ट्यूबवैल का उपयोग व उपभोग करने का पूरा पूरा अधिकार है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वादी के ट्यूबवैल के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा पहुंचाने का अधिकार नहीं है. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा वादी के हिस्से की भूमि पर जबरन काश्त कार्य करने का कोई अधिकार नहीं है, न ही ट्यूबवैल के पानी को रोकने का अधिकार है। इस कारण वादी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वादी के उसके हिस्से की भूमि एवं ट्यूबवैल के उपयोग में किसी प्रकार की बाधा डालने से जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द नहीं किया गया तो वादी को अपूर्णनीय हानि होगी, जिसकी पूर्ति किया जाना सम्भव नहीं होगा।

अन्त में निवेदन किया कि ग्राम रणसीगांव तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 558 रकबा 136 बीघा 16 बिस्वा में से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की सयुक्त खातेदारी की 1/3 हिस्से की भूमि में

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

खोदी गयी ट्यूबवैल में वादी का 1/9 वा हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/9 वा हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/9 वा हिस्सा घोषित किया जावे। ग्राम रणसीगांव तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 558 रकबा 136 बीघा 16 बिस्वा का कब्जे अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की 1/3 हिस्से की भूमि में से वादी का 1/9 वॉ हिस्सा की भूमि अलग से वादी की खातेदारी में दर्ज करने का आदेश फरमावे। बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाकर वादी के 1/9 वॉ हिस्से की भूमि मय नलकूप के हिस्से में अलग से वादी की खातेदारी में दर्ज की जावे एवं ट्यूबवैल तक जाने के लिये रास्ता रखा जावे। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वो स्वयं अथवा अपने रिश्तेदार, एजेन्ट आदि द्वारा वादी के हक व हिस्से की खसरा नम्बर 558 की भूमि मय नलकूप के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी एवं अन्य प्रकार से कोई बाधा उत्पन्न नही करे। ग्राम रणसीगांव तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 558 रकबा 136 बीघा 16 बिस्वा में से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की सयुक्त खातेदारी की 1/3 हिस्से की भूमि में स्थित ट्यूबवैल से वादी को अपने हिस्से की खातेदारी भूमि की सिचाई करने हेतु सोमवार से मंगलवार तक नलकूप से पानी लेने आदेश फरमावे। ग्राम रणसीगांव तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा हम्बर 558/1 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 567 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की 1/3 हिस्से की सयुक्त खातेदारी भूमि में से 1/9 वॉ हिस्सा वादी का अलग कर वादी की खातेदारी में दर्ज करने का आदेश फरमावे एवं इसी प्रकार वादी के हिस्से की भूमि तक की स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध पारित फरमावे ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी का दावा दिनांक 09.04.2019 को प्राथमिक डिक्री किया गया और ग्राम रणसीगांव तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 558 रकबा 136 बीघा 16 बिस्वा में से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी की 1/3 हिस्से की भूमि में खोदी गयी ट्यूबवैल में वादी का 1/9 वां हिस्सा घोषित किया जाता है तथा ग्राम रणसीगांव तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 558 रकबा 136 बीघा 16 बिस्वा में से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1व 2 की सयुक्त खातेदारी की 1/3 हिस्से की भूमि में से वादी का 1/9 वां हिस्सा का कब्जेनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है तथा वादी भूमि खसरा नम्बर 558 रकबा 136 बीघा 16 बिस्वा में से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की सयुक्त खातेदारी की 1/3 हिस्से की भूमि में स्थित ट्यूबवैल से वादी को अपने हिस्से की खातेदारी भूमि की सिचाई करने हेतु पानी लेने का अधिकारी होगा। तथा ग्राम रणसीगांव तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 558/1 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 567 रकबा 08 बीघा 14 बिस्वा में से वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 की 1/3 हिस्से की सयुक्त खातेदारी भूमि में से 1/9 वां हिस्सा वादी का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया गया। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाडा ने बंटवाडा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

क्र.सं.	नाम काश्तकार	खसरा नम्बर	रकबा
	पारसराम पुत्र जवानराम जाति जाट सा.देह खातेदार	558 558 558	0.4045 1.4562 0.4045

	कुल योग	3	2.2652
2	सीताराम पुत्र जवानराम 2.6265 हैक्ट. बुधाराम पुत्र जवानराम 2.6265 हैक्ट. पारसराम पुत्र जवानराम 0.3613 हैक्ट. उगमाराम पुत्र अमराराम 1.5759 हैक्ट भलाराम पुत्र अमराराम 1.5759हैक्ट भंवरलाल पुत्र अमराराम 1.5759 हैक्ट संतोषदेवी पुत्री अमराराम 1.5759 हैक्ट स्वरूपदेवी पुत्री अमराराम 1.5759 हैक्ट कालूराम पुत्र भोलाराम 1.9700 हैक्ट बाबूलाल पुत्र भोलाराम 1.9700 हेक्ट पुखाराम पुत्र भोलाराम 1.9700 हेक्ट सुखाराम पुत्र भोलाराम 1.9700 हेक्ट जाति जाट सा.देह खातेदार	558 558/1 567	19.8690 0.0971 1.4077
	कुल योग	3	21.3738

उक्त सारणी के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त की भूमि मौका स्थिति अनुसार नजरी नक्शा के अनुसार बंट में रखी गयी। तहसीलदार बिलाडा से प्राप्त प्राथमिक डिक्री पालना रिपोर्ट पर वादीगण व प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा सहमति प्रदान की गई। बंटवाडा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति पेश नही की इसलिए बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 26.11.2024 के अनुसार वादीगण के वाद को स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 26.11.2024 को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
एवं उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 3/3/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
एवं उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा,
व इजलास **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

वादीगण :- बनाम प्रतिवादीगण
पारसराम सीताराम

दावा अन्तर्गत धारा 88,53, 188 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :- 69/2017

दिनांक :- 3/3/25

निर्णय

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गणपत लाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री गिरधारीलाल कंसारा अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 3 से 8 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही, तथा प्रतिवादी संख्या 9 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 26.11.2024 के अनुसार वादीगण के वाद को स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 26.11.2024 को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज - मुबलिग - बाबत् -

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह -सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक -की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 3/3/25 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :-इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा